राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख
	राजस्व विविध सं. 20/2012 स्व.मगा के का.मु.कंकुबाई वगैरा बनामः मोहनसिंह वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955	

12.06.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र बांकली में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना के तहत सुलभ न्याय हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में गत् आदेश तालिका दिनांक 12.04.2012 के अनुसार सरहद मौजा बांकली तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 974 रकबा 1.42 हेक्टर किस्म बारानी सोयम के बारे में राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को आगामी आदेश तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, के संबंधित वाद–विषयक स्थिति पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि उल्लेखित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को संबंधित मूल वाद पत्रावली के निस्तारण तक पुख्ता करना अर्थात उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को संबंधित मूल वाद पत्रावली के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधान के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत् मामले में गत् आदेश तालिका दिनांक 12.04.2012 को उल्लेखित वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को आगामी आदेश तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, को संबंधित मूल वाद पत्रावली के निस्तारण तक पुख्ता किए जाने का आदेश पारित किया जाता है अर्थात सरहद मौजा बांकली तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 974 रकबा 1.42 हेक्टर किस्म बारानी सोयम के बारे में राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं.22/2012 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 12.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र बांकली में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 22/2012 के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner